

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य)।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णियाँ-प्रभारी-अररिया/अरवल/बौका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज
/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णियाँ/पटना/
शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/सारण/सिवान।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- मुख्यशीर्ष, "2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0116-आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएं, विपत्रकोड 02-2404001020116, मॉग संख्या-02, विषयशीर्ष-0116.33.01-सब्सिडी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सात निश्चय-2 के तहत देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेयरी ईकाई की स्थापना की योजना क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 6,65,61,120/-(रु० छः करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार एक सौ बीस) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)02/2023-2197, दिनांक-20.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये कुल रु० 36,83,55,000/- (रु० छत्तीस करोड़ तेरासी लाख पचपन हजार) मात्र के लागत व्यय पर सब्सिडी के रूप में अनुदान व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2025-2026 में "देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेरी ईकाई के स्थापना की योजना हेतु ₹26,59,06,500/- (रु० छब्बीस करोड़ उनसठ लाख छः हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किया गया है।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में "देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना" के तहत सामान्य एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेरी ईकाई के स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत CFMS में उपलब्ध राशि के अंतर्गत रु० 6,65,61,120/-(रु० छः करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार एक सौ बीस) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नवत राशि अतिरिक्त आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404001020116 विषयशीर्ष-0116.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध	पूर्व आवंट ₹	वर्तमान आवंटन ₹	कुल योग ₹
1.	26,60,00,000/-	6,86,41,155/-	6,65,61,120/-	13,52,02,275/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235, दिनांक 01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(कृ०पृ०ऊ०)

- 5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ-उपशीर्ष-0116-आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएं," विपत्रकोड-02-2404001020116, मॉग संख्या- 02, विषयशीर्ष-0116.33.01-सब्सिडी अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट उपबंधित राशि से होगा।
- 6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।
- 7) विभागीय राज्यादेश सं0 1455 दिनांक 26.03.2025 के आलोक में 08(आठ) जिलों में स्वीकृत नये जिला गव्य विकास कार्यालय हेतु महालेखाकार(ले0एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र निर्गत होने के उपरान्त संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन संबंधित नये जिला गव्य विकास कार्यालय को किया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बौका/गोपालगंज/
जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिया/पटना/
शेखपुरा/सीतामढ़ी/ सुपौल/सारण/सिवान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- 18(आठ)/ पटना -15, दिनांक:- 19/09/2025,
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0),पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (गव्य)

-: विवरणी :-

बजट शीर्ष-2404- डेरी विकास-राज्य स्कीम-102-डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0116-आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404001020116 के विषयशीर्ष-0116.33.01-सब्सिडी मद में सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत 02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेरी इकाई की स्थापना (सामान्य, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) पर अनुदान हेतु कुल ₹ 6,65,61,120/- (रु० छः करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार एक सौ बीस) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन :-

1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	02 एवं 04 दुधारु देशी गाय की डेरी इकाई की स्थापना (सामान्य, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) हेतु अतिरिक्त आवंटन (रु० में)		कुल योग(रुपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	4568850	4430400	4568850	4430400
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रभारी-अररिया	2155725	2090400	2155725	2090400
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	4397250	4264000	4397250	4264000
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	4568850	4430400	4568850	4430400
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	4311450	4180800	4311450	4180800
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर	2115795	2051680	2115795	2051680
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	2115795	2051680	2115795	2051680
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	2175690	2109760	2175690	2109760
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	2301420	2231680	2301420	2231680
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	2241525	2173600	2241525	2173600
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	4443120	4308480	4443120	4308480
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	2387220	2314880	2387220	2314880
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	3343395	3242080	3343395	3242080
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	2201595	2134880	2201595	2134880
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	2241525	2173600	2241525	2173600
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	5505060	5338240	5505060	5338240
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	2161665	2096160	2161665	2096160
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	6518985	6321440	6518985	6321440
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	2161665	2096160	2161665	2096160
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	4463085	4327840	4463085	4327840
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीवान	2261490	2192960	2261490	2192960
कुल योग :-		68641155	66561120	68641155	66561120

(रुपये छः करोड़ पैंसठ लाख एकसठ हजार एक सौ बीस) मात्र।

निदेशक (गव्य)